(17)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 11.04.2017 को आयोजित जिला आपूर्ति विभाग के कार्यो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(1) व्यवसायिक गैसः-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत माह के तुलना में जयराम स्मृति डंडेन गैस एजेन्सी मधेपुरा, मेसर्स शिवशक्ति गैस एजेन्सी, सिंहेश्वर, मेसर्स ममता एच0पी0 गैस ग्रामीण वितरक, घैलाढ़ एवं मेसर्स यूवा एच0पी0 गैस ग्रामीण वितरक, चौसा के द्वारा व्यवसायिक गैस की विक्री विगत माह के तुलना में कम है। व्यवसायिक गैस की विक्री अधिक हो इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा संबंधित गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर को निदेश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्राधीन हॉटल मालिक /रेस्टुरेन्ट के मालिक/नरसिंग होम चलाने वाले डॉक्टर से सम्पर्क स्थापित कर उन्हे व्यवसायिक गैस लेने हेतु उत्प्रेरित करें, ताकि व्यवसायिक गैस की विक्री में वृद्धि हो।

साथ ही बैठक में उपस्थित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को निदेशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत व्यवसायिक सिलेंडर की बिक्री बढ़ाने हेतु अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित होटलों एवं चाय-नास्ता की दुकानों में औचक एवं गहन छापामारी करें। अवैध रूप से रिफिलिंग करने वाले दुकानों पर भी गहन छापामारी करना सुनशिचित करें कि उनके द्वारा उनके होटल/ चाय-नास्ता की दुकानों में एल0पी0जी0 सिलेण्डर (घरेलू गैस) का उपयोग करते पकड़ा जाय तो उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन जप्त कर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिश्नुगंज को निदेश दिया कि बाजार क्षेत्र/देहाती क्षेत्र में खान-पान/दुकानों /एल0पी0 जी0 सिलेंडर के माध्यम से अवैध रिफलिंग करने वाले की औचक छापामारी किया जाय एवं पकड़े जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

(2) उज्जवला योजनाः-

समीक्षा के क्रम में पाया कि इस जिला के अन्तर्गत कुल 63239 उपभोक्ताओं से प्राप्त आवेदन के विरू,द्व 45140 लाभूक को उज्जवला योजना के अधीन गैस कनेक्शन दिया गया है तथा 18099 लाभुक को गैस कनेक्शन देने हेतु आवेदन लंबित है। उज्जवला योजना के अधीन दिये गये उक्त गैस कनेक्शन को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत SECC डाटा के आधार पर इस जिला क्षेत्रान्तर्गत कुल पी0एच0एच0 पात्र गृहस्थियों की संख्या-377725 है, इन लाभूको को उक्त योजना के तहत नया कनेक्शन देने हेतु सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को निदेशित किया गया कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत के गैस एजेन्सी से विहित फॉर्म एवं फॉर्म के साथ संलग्न की जानेवाली कागजात संबंधी सूची प्राप्त कर जन वितरण प्रणाली विक्रेता को उपलब्ध करा देगें तथा विक्रेता के व्यापार परिसर में कैम्प लगाकर जन वितरण प्रणाली के माध्यम से विहित फॉर्म लाभुक को उपलब्ध कराते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लाभूको से "पहले आओ और पहले पाओ के सिद्वान्त के आधार" पर फॉर्म प्राप्त कर रजिस्ट्रेशन कराने हेतु फॉर्म संबंधित गैस एजेन्सी को उपलब्ध करायेगे। सभी गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर यह सुनिश्चित करेगें कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से लाभुकों को प्राप्त कर अविलंब रजिस्ट्रेशन कर लाभुको को गैस कनेक्शन नियमानुसार देगें,ताकि मधेपुरा जिला के लाभूकों को उक्त योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सकें।

इस हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को निदेश दिया गया कि वे कैम्प का आयोजित करावे तथा सभी प्रखंड में इसका प्रचार-प्रसार करावे, ताकि अधिक से अधिक लाभूको को इसका लाभ मिल सकें।

(3) खाद्यान्न

पी0एच0एच0 एवं अन्त्योदय योजनान्तर्गत खाद्यान्न उठाव की समीक्षा के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा बताया गयाा कि राज्य खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न का उठाव धीमी है। अभी भी सभी प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का माह मार्च,2017 के खाद्यान्न का उठाव शतप्रतिशत नही हो पाया है। प्रखंड कुमारखंड के खाद्यान्न उठाव काफी कम है। खाद्यान्न उठाव को गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपरा से पृच्छ्रा किये जाने पर जिला प्रबंधक द्वारा बताय गया कि डोर स्टेप परिवहन अभिकर्त्ता का भुगतान संबंधी बिल को विभाग को भेज दिये जाने के बावजूद विभाग से राशि प्राप्त नही कराया गया है जिसके कारण खाद्यान्न के उठाव धीमी हो गयी है।

इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि वे डोर स्टेप परिवहन अभिकर्त्ता का भुगतान संबंधी बिल के विभाग को पत्र लिखे एवं एकरारनाम के अनुरुप प्रखंडवार परिवहन अभिकर्त्ता से गोदाम पर ट्रैक्टर लगवाकर माह मार्च,2017 के खाद्यान्न का उठाव दिनांक 14.04.2017 तक शतप्रतिशत करना सुनिश्चित करेगें।

बैठक के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सभी सहायक गोदाम प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को यह निदेश दिया गया कि गोदाम से उठाव किये गये खाद्यान्न की सूचना संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को देगें। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शतप्रतिशत जन वितरण प्रणाली दुकानदार के व्यापार स्थल पर पहुँच कर स्टॉक का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.04.2017 तक पूरा कर लेगें। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन SupplyWatch (Whatsapp) पर अपलोड करेंगें।

भौतिक सत्यापन के पश्चात् माह मार्च 2017 के खाद्यान्न को वितरण के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मधेपुरा जिला को निदेशित किया गया कि वे 15.04.2017 से 20.04.2017 तक के बीचं में पी0एच0एच0 एवं अन्त्योदय योजनान्तर्गत खाद्यान्न का वितरण जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से लाभुको के बीच सरकार द्वारा निर्धारित दर एवं मात्रा में कराना सुनिश्चित करेगें।

(4.) पी0डी0एस0 दुकानों का युक्तिकरणः-

बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पी0डी0एस0 युक्तिकरण संबंधी प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशनुगंज से अप्राप्त है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि पी0डी0एस0 युक्तिकरण संबंधित निर्गत प्रस्ताव के आलोक में एक सप्ताह के अन्दर जन वितरण प्रणाली विक्रेता के स्थल परिवर्तन के संबंध आवश्यक कार्रवाई करते हुए जिला आपूर्ति कार्यालय प्रतिवेदित करेगें।

(5) **राशन कार्डः-**

जिलाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में अपात्र लाभुक को नोटि्त कर जॉचोपरांत नियमानुसार अपात्र लाभूकों का राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई की जाय। साथ ही RTPS के माध्यम से नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन हेतु आवेदन प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय। प्राथमिकता के आधार पर नये राशन कार्ड के लिए वैसे लाभुक को चिन्हित किया जाय, जिन्हे पूर्व में लाल कार्ड प्राप्त था, परन्तु पी0एच0एच0 योजनान्तर्गत उन्हे कार्ड प्राप्त नही हुआ है। उनसे नये राशन कार्ड हेतु विहित आवेदन के संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज के साथ-साथ लाल कार्ड मूल में प्राप्त करेगे। लाभूक से प्राप्त विहित आवेदन की जॉच प्रखंड विकास पदाधिकारी अथवा अन्य सक्षम पदाधिकारी से कराकर विभागीय नियमानुसार नये राशन कार्ड निर्गत हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें।

(15)

(6.) पी0डी0एस0निरीक्षण:-

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता का किये गये निरीक्षण को जिलाधिकरी द्वारा की गई समीक्षोपरांत सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को निदेश दिया गया कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रखंड के कार्यरत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं मे से प्रत्येक सप्ताह कम से 10 दूकानों का निरीक्षण कर विहित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण का फोटो SupplyWatch (Whatsapp) पर भी अपलोड करें।

(7) अन्यान्य:-

जिलाधिकारी द्वारा सभी थौक किरासन तेल विक्रेता/सभी गैस एजेन्सी का कहा गया है कि व्यापार प्रतिष्ठान के सुरक्षा की हेतु CCTV लगाया जाय । प्रतिष्ठान पर गार्ड/रात्री प्रहरी नियुक्ति की जाय तथा आवश्यकता हो तो प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए शस्त्र हेतु विहित आवेदन उपलब्ध कराया जाय, ताकि सुरक्षा दृष्टि से आवश्यक कार्रवाई किया जा सकें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

12/04/17

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा।

जिलाधिकारी
मधेपुरा
12/4/17

ज्ञापांक 222 /आ0, मधेपुरा, दिनांक 13/04/2017

प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,मधेपुरा/सभी सहायक गोदाम प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप निदेशक,खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति,कोशी प्रमंडल,सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त,कोशी प्रमंडल,सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना बिज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने तथा सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

12/04/17

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा।
12/4/17

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।
12/4/17